

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक:प.1(ग)()/का/स.क.भ./एसएमई/डीएलबी/12/ २६५३ दिनांक: २६/६/१२

संशोधन विज्ञापन संख्या 3/12

सफाई कर्मचारियों की नवीन भर्ती के सम्बन्ध में विभागीय समख्यक आदेश क्रमांक 2855-3227 दिनांक 25.05.12, 3232 दिनांक 25.05.12 एवं 3228 दिनांक 25.05.12 अथवा आदेश क्रमांक 3608 दिनांक 31.05.12, 3609-3976 दिनांक 31.05.12 एवं 3977 दिनांक 31.05.12 आदेश क्रमांक 6790-7026 दिनांक 18.06.12 की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते हैं कि:-

- (i) आवेदन अवधि 5 जुलाई 2012 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2012 की जाती है।
- (ii) अनुभव प्रमाण-पत्र पूर्व में नगरीय निकाय के अधिकारियों का मान्य था, कुछ स्थानों पर अन्य विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्रमाण-पत्र को मान्य किये जाने का निवेदन किया जा रहा है अतः अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होने की छूट दी जाती है।
- (iii) नगरीय निकायों एवं अन्य विभागों के सफाई ठेकेदारों द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण-पत्र को भी मान्य किया जाता है।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प.1(ग)()/का/स.क.भ./एसएमई/डीएलबी/12/7654-7848 दिनांक: 26/6/12

मुख्य नगर पालिक अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
..... राजस्थान।

विषय:- सफाई कर्मचारियों भर्ती हेतु अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि सफाई कर्मचारियों की नवीन भर्ती के सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2855-3227 दिनांक 25.05.12, 3232 दिनांक 25.05.12 एवं 3228 दिनांक 25.05.12 अथवा आदेश क्रमांक 3608 दिनांक 31.05.12, 3609-3976 दिनांक 31.05.12 एवं 3977 दिनांक 31.05.12 एवं आदेश क्रमांक 6790-7026 दिनांक 18.06.12 क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं:-

- (i) आवेदन अवधि 5 जुलाई 2012 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2012 की जाती है।
- (ii) अनुभव प्रमाण-पत्र पूर्व में नगरीय निकाय के अधिकारियों का मान्य था, कुछ स्थानों पर अन्य विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्रमाण-पत्र को मान्य किये जाने का निवेदन किया जा रहा है अतः अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होने की छूट दी जाती है।
- (iii) नगरीय निकायों एवं अन्य विभागों के सफाई ठेकेदारों द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण-पत्र को भी मान्य किया जाता है।

२३

उप शासन सचिव
दिनांक:

क्रमांक:प.1(ग)()/का/स.क.भ./एसएमई/डीएलबी/12/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
05. सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
06. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त।
08. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
09. सुरक्षित पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प.1(ग)()/का/स.क.भ./एसएमई/डीएलबी/12/

दिनांक:

मुख्य नगर पालिक अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
राजस्थान।

विषय:- सफाई कर्मचारियों भर्ती हेतु अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि सफाई कर्मचारियों की नवीन भर्ती के सम्बन्ध में विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2855-3227 दिनांक 25.05.12, 3232 दिनांक 25.05.12 एवं 3228 दिनांक 25.05.12 अथवा आदेश क्रमांक 3608 दिनांक 31.05.12, 3609-3976 दिनांक 31.05.12 एवं 3977 दिनांक 31.05.12, एवं आदेश क्रमांक 6790-7026 दिनांक 18.06.12 क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं:-

- (i) आवेदन अवधि 5 जुलाई 2012 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2012 की जाती है।
- (ii) अनुभव प्रमाण-पत्र पूर्व में नगरीय निकाय के अधिकारियों का मान्य था, कुछ स्थानों पर अन्य विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्रमाण-पत्र को मान्य किये जाने का निवेदन किया जा रहा है अतः अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होने की छूट दी जाती है।
- (iii) नगरीय निकायों एवं अन्य विभागों के सफाई ठेकेदारों द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण-पत्र को भी मान्य किया जाता है।

561-

उप शासन सचिव

क्रमांक:प.1(ग)()/का/स.क.भ./एसएमई/डीएलबी/12/7849-7900 दिनांक: 26/6/12
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
05. सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
06. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त।
08. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
09. सुरक्षित पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)